न्यायालय :- अपर समाहर्त्ता, प० चम्पारण, बेतिया

दा०खा०पुन० वाद सं०- 454/12-13 छतर साह वॉ० बदरी साह वो

8/5/15 उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है,

आवेदक छतर साह एवं अन्य द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेतिया के न्यायालय के दा०खा० अपील वाद सं०- 13A/11-12 में दि०- 30/10/12 को पारित आदेश के विरुद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है, उन्होंने शपथ-पत्र दिया है, व उक्त पुनरीक्षण वाद को वापस लेना चाहते हैं। शपथ-पत्र के साथ वकालतनामा भी दाखिल किया गया है, जिस पर सभी आवेदकों के हस्ताक्षर एवं निशान हैं।

आवेदकों द्वारा दि०- 01/09/14 को भी इस वाद को वापस लेने हेतु आवेदन-पत्र दिया गया है। आवेदक के शपथ-पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश तिवारी का पहचानकर्त्ता के रूप में हस्ताक्षर है। आज न्यायालय में उपस्थित आवेदक द्वारा अपने पुनरीक्षण वाद को वापस लेकर अपने पुनरीक्षण वाद को वापस लेने की अनुमति लेने के लिए आग्रह किया गया है।

आवेदक के साथ उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं, आवेदकों के अनुरोध पर उन्हें इस वाद को वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

तदनुसार इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

ह० 08.5.15
अ० स०